

पॉलीग्राफ टेस्ट

प्रलिस के लिये:

[पॉलीग्राफ टेस्ट](#), [केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो \(CBI\)](#), [नारको-वशिलेषण परीक्षण](#), [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(NHRC\)](#)

मेन्स के लिये:

पॉलीग्राफ, नारको टेस्ट, वैधानिक नहिलिर्थ, संबंघति न्यायालय के नरिणय, कार्यानवयन में चुनौतियिँ और आगे की राह

[स्रोत: इकॉनोमिक्स टाइम्स](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो \(CBI\)](#) को कोलकाता मेडिकल कॉलेज में एक स्नातकोत्तर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य संदग्धि पर [पॉलीग्राफ टेस्ट](#) करने के लिये अधिकृत कया गया है।

- पॉलीग्राफ टेस्ट जाँचकर्त्ताओं को संदग्धि के बयानों की एकरूपता की जाँच करने और संभावति छल या धोखे की पहचान करने में मदद करेगा।

पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है?

परचिय:

- [पॉलीग्राफ](#) या [लाय डटिक्टर टेस्ट](#) (झूठ का पता लगाने हेतु परकिषण) की प्रकरिया के तहत व्यक्ती से कई सवाल पूछे जाते हैं और जब वह उनका जवाब देता है तो उस दौरान उसके शारीरिक संकेतकों, जैसे: [रक्तचाप](#), [नाडी](#), [श्वसन](#) और [त्वचा की चालकता](#) आदिका आकलन कर रकिर्ड कया जाता है।
- यह परकिषण इस धारणा पर आधारति है कजिब कोई व्यक्ती झूठ बोलता है तो जो शारीरिक क्रियाएँ होती हैं, वह आमतौर पर होने वाली क्रियाओं से भनिन होती हैं।
- प्रत्येक क्रिया को एक [संख्यात्मक मान](#) दिया जाता है, ताकयिह नषिकर्ष नकिला जा सके कवियक्तीसिच बोल रहा है, धोखा दे रहा है, या अनशिचति है।
- [पॉलीग्राफ](#) जैसा एक परकिषण [सबसे पहले 19वीं शताब्दी में इतालवी अपराध वजिज्ञानी शेजारे लोम्ब्रोरोजो](#) द्वारा कया गया था, जनिहोंने पूछताछ के दौरान आपराधकि संदग्धियों के [रक्तचाप में परिवर्तन](#) को मापने के लिये एक मशीन का प्रयोग कया था।

नारको-वशिलेषण परकिषण से अलग:

- नारको वशिलेषण परकिषण में अभयिकत को [सोडियम पेंटोथल इंजेक्ट](#) करना शामिल है, जो एक [सम्मोहन या बेहोशी की स्थति](#) उत्पन्न करता है और [आपराधकि संदग्धियों की](#) कथति तौर पर [कल्पना को बेअसर](#) कर देता है।
- इस अवस्था में व्यक्ती [झूठ बोलने में असमर्थ](#) हो जाता है और केवल सटीक तथ्य ही बताता है।

परीक्षणों की सटीकता:

- [पॉलीग्राफ](#) और नारको परकिषण [वैज्ञानिक रूप से 100% सटीक साबति नहीं हुए हैं](#) और चकितिसा क्षेत्र में वविदास्पद बने हुए हैं।
- इसके बावजूद जाँच एजेंसियों ने हाल ही में संदग्धियों से सचचाई उगलवाने के लिये यातना के बजाय [‘आसान वकिल्प’](#) के रूप में इन परकिषणों का प्रयोग कया है।

नोट:

- [बरेन मैपगि](#): यह एक ऐसा परकिषण है, जो [मसतषिक की शारीरिक रचना और कार्य का अध्ययन](#) करने के लिये इमेजगि का उपयोग करता है। यह डॉक्टरों को यह नरिधारति करने में मदद कर सकता है क मसतषिक का कार्य सामान्य है या नहीं और मसतषिक के उन क्षेत्रों की पहचान करता है जो गता, भाषण और दृष्टिको नयित्तरति करते हैं।

WHAT IS BRAIN MAPPING



- Machines used to study the areas of the brain for activity on specific subjects
- Objective is to reveal 'guilty knowledge'
- Subject doesn't need to give oral answers to questions, his brain's response is picked and analysed
- Brain mapping cannot find out what the lie is or what information is stored in subject's brain

Results can only aid in probe, have no legal sanctity

THE PROCESS

Subject is asked to sit down and close his eyes

Electrodes are placed over the scalp and connected to the neuroscan cording system

Subject told to listen to words presented in auditory mode

Result aimed at ascertaining if subject has knowledge of the crime or any aspect of it

पॉलीग्राफ टेस्ट की कानूनी स्वीकार्यता क्या है?

- अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन: आरोपी की सहमती के बिना किये गए पॉलीग्राफ, नार्को-एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करते हैं, जो आत्म-दोष के वरिद्ध अधिकार की रक्षा करता है।
 - यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि किसी भी अपराध के लिये आरोपी व्यक्ति को स्वयं के वरिद्ध साक्ष्य बनने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है।
- सहमती की आवश्यकता: चूँकि इन परीक्षणों में आरोपी द्वारा संभावित रूप से आत्म-दोषपूर्ण जानकारी प्रदान करना शामिल है, इसलिये संविधानिक अधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिये उनकी सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
- न्यायिक और मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ: नार्को-एनालिसिस और इसी तरह के परीक्षणों का उपयोग न्यायिक प्रामाणिकता और मानवाधिकारों, विशेष रूप से व्यक्तिगत अधिकारों तथा स्वतंत्रता के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताएँ उत्पन्न करता है।
- न्यायालय की आलोचना: न्यायालयों ने प्रायः इन परीक्षणों की आलोचना की है क्योंकि ये मानसिक यातना दे सकते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।

पॉलीग्राफ टेस्ट से संबंधित ऐतिहासिक नरिणय क्या हैं?

- सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य मामला 2010: सर्वोच्च न्यायालय ने नार्को परीक्षणों की वैधता और स्वीकार्यता पर फंसला सुनाया जिसमें स्थापित किया गया कि नार्को या लाय डिटिक्टर परीक्षणों का अनैच्छिक प्रशासन किसी व्यक्ति की "मानसिक गोपनीयता" में घुसपैठ है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नार्को परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-दोषी ठहराए जाने के खिलाफ मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी अपराध के लिये आरोपी को स्वयं के खिलाफ साक्ष्य/गवाह बनने के लिये मजबूर नहीं किया जाएगा।
 - आत्म-दोष एक कानूनी सदिधांत है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में स्वयं के वरिद्ध सूचना देने या गवाही देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।
- 1997: अनुच्छेद 21 के तहत आत्म-दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अधिकार भौतिक साक्ष्य (जैसे उंगलियों के निशान, लिखावट, रक्त और आवाज़ के नमूने) स्वैच्छिक रूप से दी गई जानकारी और पहचान प्रकरियाँ (जैसे लाइन-अप एवं फोटो एरे) तक वसितारति नहीं होता है।
- सर्वोच्च न्यायालय की अन्य टिप्पणियाँ: नार्को परीक्षण साक्ष्य के रूप में विश्वसनीय या नरिणायक नहीं हैं क्योंकि वे मान्यताओं एवं

संभावनाओं पर आधारित हैं।

- स्वैच्छिक रूप से प्रशासति परीक्षण परणामों की सहायता से बाद में खोजी गई कोई भी जानकारी या सामग्री साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अब **भारतीय साक्ष्य अधिनियम**) की **धारा 27** के अंतर्गत स्वीकार की जा सकती है।
 - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अनुसार **पुलिस हरिसत में अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी तभी स्वीकार्य होगी** जब उससे किसी तथ्य का पता चले।
 - केवल सूचना का वह भाग ही सदिध किया जा सकता है जो **प्रकट किये गए तथ्य से सीधे संबंधित हो**, भले ही वह स्वीकारोक्ति हो या न हो।
- न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया **करिष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)** द्वारा वर्ष 2000 में प्रकाशित 'अभियुक्त पर पॉलीग्राफ परीक्षण के लिये दिशानरिदेशों' का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।

पॉलीग्राफ टेस्ट के संबंध में NHRC द्वारा जारी दिशा-नरिदेश

- **स्वैच्छिक सहमति:** अभियुक्त को पॉलीग्राफ परीक्षण के लिये स्वैच्छा से अपनी सहमति देनी होगी तथा उनके पास परीक्षण से मना करने का विकल्प भी होना चाहिये।
- **सूचति सहमति:** परीक्षण के लिये सहमति देने से पहले आरोपी को इसके उद्देश्य, प्रक्रिया एवं वधिक नहितार्थों के वषिय में पूरी सूचना होनी चाहिये। यह सूचना पुलसि तथा आरोपी के अधविकता द्वारा प्रदान की जानी चाहिये।
- **अभलिखित सहमति:** पॉलीग्राफ परीक्षण के लिये **अभियुक्त की सहमति न्यायकि मजसि्ट्रेट के समक्ष अभलिखित** की जानी चाहिये।
- **दस्तावेज़:** न्यायालय की कार्यवाही के समय **पुलसि को यह साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे कि आरोपी पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिये सहमत था।** यह दस्तावेज़ अधविकता द्वारा न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।
- **बयानों का स्पष्टीकरण:** अभियुक्त को यह समझना चाहिये कि **पॉलीग्राफ परीक्षण के समय दिये गए बयानों को पुलसि को दिये गए बयान माना जाता है, न कि स्वीकारोक्ति।**
- **न्यायकि वचिर:** पॉलीग्राफ टेस्ट के परणामों पर वचिर करते समय **न्यायाधीश अभियुक्त की अभरिक्षा की अवधि एवं पूछताछ** जैसे कारकों पर वचिर करता है।

दृष्ट मेन्स टेस्ट:

परशन: पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है? आपराधकि जाँच में पॉलीग्राफ टेस्ट के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।